तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 06/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
29.5.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी लक्ष्मण उर्फ लसमाराम पुत्र शंकरलाल देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म मां नन्दिनी रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 62 जनापुर चौराहा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.3.2023 को फर्म मां नन्दिनी रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 62 जनापुर चौराहा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता लक्ष्मण उर्फ लसमाराम पुत्र शंकरलाल देवासी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Mango Juice (fresca) नमूना संख्या S-2064 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./705/Act/2023/748 दिनांक 01.4.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 29.5.2024 को प्रतिवादी ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव व प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया। जबकि प्रतिवादी ने यह व्यक्त किया कि होटल को किराये पर चलाने हेतु ली हुई है एवं प्रतिवादी होटल में नौकरी करता है। उक्त मेंगो ज्यूस फ्रेस्कों ब्राण्ड को दूसरी फर्म से पैकिंग अवस्था क्रय की गई थी व पैकिंग अवस्था में विक्रय किया है, इसके क्रय का बिल मेरे पास नही है, इसलिये कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 16.3.2023 को फर्म मां नन्दिनी रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 62, जनापुर चौराहा, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी [illegible] लसमाराम पुत्र शंकरलाल ....लगातार	

अति. जिला [illegible]
सिरोही–[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:14:52 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 06/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	देवासी से फर्म मां नन्दिनी रेस्टोरेन्ट के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Mango Juice (fresca) की 20 पैक्ड बोतलों (500 एम.एल.) में से Mango Juice (fresca) की 8 पैक्ड बोतलों (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय की गई एवं खरीदशुदा Mango Juice (fresca) की 8 पैक्ड बोतलों के 4 पैकेट बनाकर विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल आदि तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता लक्ष्मण देवासी उर्फ लसमाराम व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को Mango Juice (fresca) के प्रत्येक नमूना पैकेट पर नियमानुसार चिपकाया। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ Mango Juice (fresca) के चारों नमूना पैकेटों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता लक्ष्मण उर्फ लसमाराम व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 20.3.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 16.3.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मां नन्दिनी रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 62 जनापुर चौराहा, तहसील- पिण्ड़वाडा, जिला- सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता लक्ष्मण उर्फ लसमाराम पुत्र शंकरलाल देवासी से खाद्य पदार्थ Mango Juice (fresca) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा फर्म मां नन्दिनी रेस्टोरेन्ट में प्रतिवादी लक्ष्मण [illegible] खाद्य सुरक्षा एवं मानक ....लगातार	

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

मुख्य जिला मजिस्ट्रेट सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:14:52 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 06/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये Mango Juice (fresca) के नमूना संख्या S-2064 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./705/Act/2023/748 दिनांक 01.4.2023 में खाद्य पदार्थ Mango Juice (fresca) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रकरण की अनुसंधान के दौरान प्रतिवादी लक्ष्मण उर्फ लसमाराम ने Mango Juice (fresca) के क्रय का बिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने मिथ्याछाप (Misbranded) Mango Juice (fresca) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) Mango Juice (fresca) के विक्रय हेतु प्रतिवादी लक्ष्मण उर्फ लसमाराम पुत्र शंकरलाल देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म मां नन्दिनी रेस्टोरेन्ट, एन.एच. 62, जनापुर चौराहा, तहसील–पिण्डवाडा पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी लक्ष्मण उर्फ लसमाराम को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 03.7.2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:14:52 IST
Reason: SelfAttested